सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

म0प्र0 स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेषन लि0
के मेन्युअल का बिन्दु क्रमांक – 16

म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरेशन लिमिटेड
मुख्यालय भोपाल

क्रमांक / स्था0 / 2005 / 1060 भोपाल,दिनांक.3.9.05

vkns'k

मुख्यालयीन आदे'k क्रमांक / स्था0 / 2005 / 956 दिनांक 20.08.05 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अंतर्गत लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई थी ।

उक्त आदे'k में आंf'kक सं'kksध करते हुए सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 धारा 5(1)के तहत निगम मुख्यालय स्तर पर प्रबंधक(सामान्य), क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर क्षेत्रीय प्रबंधक एवं जिला कार्यालय स्तर पर जिला प्रबंधक को लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया जाता है ।

(**'kSysUnz** सिंह)
प्रबंध संचालक

क्रमांक / स्था0 / 2005 / 1060 भोपाल,दिनांक.3.9.05
प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–
निज सचिव,माननीय अध्यक्ष / उपाध्यक्ष,मुख्यालय,भोपाल ।
स्टॉफ ऑफीसर,प्रबंध संचालक,मुख्यालय,भोपाल ।
महाप्रबंधक(समस्त),मुख्यालय,भोपाल ।
कंपनी सचिव,मुख्यालय,भोपाल ।
संचालक(वित्त)सह वित्तीय सलाहकार,मुख्यालय,भोपाल ।
ofjB लेखाधिकारी,मुख्यालय,भोपाल ।
लेखाधिकारी / प्रबंधक(समस्त),मुख्यालय,भोपाल ।
क्षेत्रीय प्रबंधक,म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरे'kन लि0,समस्त ।
जिला प्रबंधक,म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोरे'kन लि0,समस्त ।

प्रबंध संचालक

म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोjs'ku लिमिटेड
मुख्यालय भोपाल

क्रमांक / स्था0 / 2005 / 1061 भोपाल,दिनांक 3.9.05

प्रति,

क्षेत्रीय / जिला प्रबंधक,
म0प्र0स्टेट सिविल सप्लाईज कारपोjs'ku लि0,
समस्त ।

विषयः—सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उपबन्धों के पालनार्थ निर्दे'k।

संदर्भः—कार्यालयीन आदे'k क्रमांक / स्था0 / 2005 / 1060 दिनांक 3.9.05

--//--

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के उपबन्धों के पालन हेतु निम्नानुसार निर्दे'k दिए जाते हैं—

1 ^लोक सूचना अधिकारी' को अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत आवेदक द्वारा सूचना देने के लिए लिखित एवं मौखिक निवेदन किए जाने पर वांछित जानकारी मौखिक,लिखित अथवा इलेक्ट्रॉनिक फार्म में निर्धारित फीस का भुगतान प्राप्त कर अनिवार्य रूप से 30 दिवस के भीतर देना होगा ।

यदि धारा 7(1)में निर्धारित समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त जानकारी नहीं दी जाती है तो धारा 7(6)के प्रावधान अनुसार आवेदक से फीस प्राप्त किए बिना जानकारी देना होगा ।

2 धारा 7(5)के प्रावधान अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आवेदकों को दी जाने वाली जानकारी के लिए फीस नहीं ली जाएगी ।

धारा 7(4)के प्रावधान अनुसार यदि आवेदक को इन्द्रीय अपंगता है तो जानकारी उपलब्ध कराने के लिए नामांकित अधिकारी स्वयं सहायता करेंगे ।

3 धारा 7(3)के तहत आवेदक द्वारा चाही गई जानकारी उपलब्ध कराने का निर्णय लिए जाने पर उसे फीस की रा'k की गणना कर सूचित किए जाने और आवेदक से सहमति / असहमति प्राप्त होने के बीच की अवधि निराकरण हेतु निर्धारित 30 दिवस की समयसीमा में नहीं गिनी जाएगी । जानकारी निम्नानुसार 'kqल्क लेकर उपलब्ध कराई जाएगीः—

(अ) ए—4 साईज पेपर की प्रति(एक तरफ)रूपये 5 / — प्रति पृ"B

(ब) ए—3 साईज पेपर की प्रति(एक तरफ)रूपये 10 / — प्रति पृ"B

इलेक्ट्रानिक फार्म में दी जाने वाली वांछित जानकारी के लिए स्थानीय स्तर पर होने वाला वास्तविक व्यय आवेदक से 'ुल्क के रूप में प्राप्त किया जाएगा ।

4 धारा 7(2)के अनुसार निर्धारित समयावधि में आवेदक को वांछित जानकारी उपलब्ध न कराई जाने की दशा में यह माना जाएगा कि नामांकित अधिकारी द्वारा आवेदन निरस्त कर दिया गया है जिसके संबंध में आवेदक द्वारा वरि0अधिकारी को अपील की जा सकेगी ।

5 धारा 7(1)के अनुसार ऐसी जानकारी जो व्यक्ति के जीवन एवं स्वतंत्रता से संबंधित हो,48 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी ।

6 धारा 7(1)के अंतर्गत आवेदक को वांछित जानकारी निर्धारित 30 दिवस की अवधि में अनिवार्य रूप से दी जाना है ।

यदि जानकारी अन्य कार्यालय से संबंधित है तो आवेदक को उस संबंध में अवगत कराया जाएगा ।

यदि धारा 8 व 9 के अंतर्गत वांछित जानकारी नहीं दिए जाने की श्रेणी में आता है तो आवेदक को कारणों का लेख करते हुए(सकारण)निरस्त करने की सूचना निर्धारित अवधि में दी जाना है ।

7 धारा 7(7)एवं धारा 11 के अंतर्गत आवेदक द्वारा चाही गई ^ तृतीय पक्ष^ (थर्ड पार्टी)से संबंधित वांछित जानकारी के संबंध में तृतीय पक्षकार से 05 दिवस के भीतर लिखित रूप से तथ्यों से अवगत कराने हेतु नोटिस दिया जाएगा । तृतीय पक्ष द्वारा दिए गए लिखित/मौखिक सुझाव को विचार में लेकर निर्णय लिया जाकर आवेदक को जानकारी दी जाएगी ।

8 अधिनियम की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत जो जानकारी नहीं दी जाना है उनके संबंध में प्रावधान किए गए हैं । ऐसी जानकारी के लिये आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर धारा 9 के अनुसार सकारण तथ्यों का उल्लेख करते हुए निरस्त किया जाएगा ।

9 राज्य की सुरक्षा नीति,वैज्ञानिक अथवा आर्थिक व्यवस्था,खोज एवं आपराधिक अन्वेषण,लोक आदे'k ,संसदीय एवं अन्र्तराष्ट्रीय संबंधी दस्तावेज, व्यापार एवं वाणिज्य संबंधी गोपनीय जानकारी,व्यक्तिगत गोपनीय जानकारियां,ऐसे दस्तावेज जिनसे न्यायालय की अवमानना होती हो, जीवन और 'kkरीरिक सुरक्षा को क्षति पहुंचाने वाली जानकारी तथा ऐसी कोई जानकारी जो लोकहित में दी जाना उचित न हो,नहीं दी जाएगी । आवेदक को संसद एवं राज्य विधानसभा को दी जा सकने वाली जानकारी दी जाएगी,किन्तु ऐसी जानकारी नहीं दी जाएगी,जो कार्यालयीन गोपनीयता अधिनियम 1923 एवं धारा 8(1)द्वारा निषिद्ध की गई है । यदि वांछित जानकारी ऐसी है,जिसको दिए जाने से कोई हानि नहीं होगी,वह दी जा सकेगी,फिर भी ऐसी सब जानकारियां दी जा सकेंगी,जिनको घटित हुए 20 वर्ष की अवधि व्यतीत हो चुकी हो ।

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की प्रति संलग्न है ।

('ौलेन्द्र सिंह)
प्रबंध संचालक

क्रमांक/स्था0/2005/957 भोपाल,दिनांक 20.8.05

प्रतिलिपिः–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1 निज सचिव,माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष,मुख्यालय,भोपाल ।
2 स्टॉफ ऑफीसर,प्रबंध संचालक,मुख्यालय,भोपाल ।
3 महाप्रबंधक(समस्त),मुख्यालय,भोपाल ।
4 कंपनी सचिव,मुख्यालय,भोपाल ।
5 संचालक(वित्त)सह वित्तीय सलाहकार,मुख्यालय,भोपाल ।
6 वरि0 लेखाधिकारी,मुख्यालय,भोपाल ।
7 लेखाधिकारी/प्रबंधक(समस्त),मुख्यालय,भोपाल ।

प्रबंध संचालक